



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-13072026-274425
CG-UP-E-13072026-274425

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3617]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3617]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलव (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 18 जून, 2026

का.आ. 3779(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20 'च' की उपधारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य में सहजनवाँ-दोहरीघाट खण्ड की नई रेल लाइन की विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) के उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन के लिए आर्बिट्रेटर के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्र०सं०	आर्बिट्रेटर	जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश

[फा. सं. W/Con/247/BG/Br./SWA-DIT/20F]

अनुज मित्तल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Eastern Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Gorakhpur, the 18 June, 2026

S.O. 3779(E).—In exercise of the powers conferred by Sub section (6) of section 20(F) of the Railways Act 1989 (24 of 1989) the central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as "Arbitrator" to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of Special railway Project of "Sahjanwa - Dohrighat section of New Line Project" in the district mentioned in column (3) and in the state mentioned in column(4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special railway project.

SCHEDULE**Special Railway Project**

S. No.	Arbitrator	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	"District Magistrate, Gorakhpur"	Gorakhpur	Uttar Pradesh

[F.No. W/Con/247/BG/Br./SWA-DIT/20F]

ANUJ MITTAL, Chief Administrative Officer/Construction